



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग)
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
Email Id -dcpsramgarh@gmail.com,



विज्ञापन सं० - 01/2026

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 एवं पोक्सो नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति (Support Person) की सेवा लेने हेतु पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित चयन :-

सरकार के सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या - 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-2685/दिनांक 24.10.2024, 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-525/दिनांक 09.05.2025 एवं 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-124/दिनांक 15.01.2026 तथा निदेशक-सह-सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची के पत्रांक 377, दिनांक 20.03.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने हेतु सहायक व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना है। इस हेतु सहायक व्यक्तियों का पैनल निर्माण किए जाने के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित सेवा दिए जाने वाले इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	उम्र	शुल्क प्रति केस
1	सहायक व्यक्ति	जिले में मामलों की संख्या के 01:10 अनुपात के अनुसार	35 से 60 वर्ष	अधिकतम प्रति केस 5000/- (म०बा०वि० एवं सा०सु०वि०) झारखण्ड के अधिसूचना संख्या - 525, दिनांक 09.05.2025 के क्र०सं० 1 के आलोक में

(A) शैक्षणिक योग्यता :-

- कला/वाणिज्य/विज्ञान/विधि/ मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य/ बाल मनोविज्ञान/ स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि या किसी भी संकाय में स्नातक की उपाधि एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

(B) कार्यानुभव :-

- बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/ सामाजिक कार्य/ बाल मनोविज्ञान/ परामर्शदाता/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।
- DLSA/JHALSA/DCPU/CWC/JJB/POCSO न्यायालय में कम से कम एक वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।

नोट :- अभ्यर्थी को संबंधित संस्था को नियोक्ता के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।

(C) साक्षात्कार :-

- वांछनीय अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त हेतू गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदन की शैक्षणिक योग्यता/कार्यानुभव/बाल संरक्षण/किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) के तहत कार्य करने का अनुभव और बालक के साथ काम करने के अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(D) मूल्यांकन :-

- शैक्षणिक योग्यता

क्र० स०	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	स्नातक	6
2	स्नातकोत्तर	3
3	अन्य	1
कुल		10

- कार्यानुभव :- प्रतिवर्ष के लिए 01 अंक अधिकतम 10 अंक।
- साक्षात्कार :- 30 अंक अधिकतम।

(E) सहायक व्यक्तियों की पैनल का निर्माण :-

1. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर सूची का प्रकाशन जिला बाल संरक्षण इकाई, रामगढ़ के कार्यालय में किया जायेगा।
2. सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता में 60 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 40 प्रतिशत पुरुष सदस्य होंगे, विशेष परिस्थिति में जहाँ पर महिला सदस्य उपलब्ध नहीं हो तो, उनके स्थान पर पुरुष सदस्य को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
3. सहायक व्यक्तियों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 02 माह पूर्व नए पैनल का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पैनल की अवधि समाप्त होने के पूर्व नए पैनल का निर्माण कर लिया जायेगा।
4. सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के अपराधिक चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा करवाया जायेगा एवं किसी भी सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई अपराधिक मामला दर्ज पाया जायेगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है तथा उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

(F) सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व :-

- सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या - 526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-2865 /दिनांक 24.10.2024 द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश बिंदु 4 में वर्णित सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एवं उसके कर्तव्य के अनुसार होंगे।

(G) शुल्क भुगतान:-

- सहायक व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति केस की दर से अधिकतम 5000/- रू0 प्रति केस किस्तवार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या -526/SP-POCSO/JSCPS/2023-24-525 /दिनांक 09.05.2025 के क्र0स0 - 01 के आलोक में देय होगा।


(H) नियम एवं शर्तों:-

1. आवेदन पत्र विहित प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा।
2. अपूर्ण /अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, प्रेषक का नाम एवं पत्राचार व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र (Salary Slip सहित) एवं उम्र प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन उपरांत अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा।
6. उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से परिगणित की जाएगी।
7. उक्त पद में साक्षात्कर हेतु उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध/फर्जी पाए जाने पर चयन समिति को चयन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा देय राशि नियमसंगत वसूली की जाएगी।
9. आवेदन के साथ शपथ पत्र (नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत) की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज/लंबित नहीं है।
10. निर्धारित अहर्ता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
11. सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक - 5772/दिनांक - 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिनांक 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. विभागीय अधिसूचना संख्या – 2685/दिनांक 24.10.2024 एवं 124/दिनांक 15.01.2026 के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
15. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक की विवरणी आवेदन के साथ देना अनिवार्य है।
16. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
17. आवेदन हेतु प्रपत्र, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.ramgarh.nic.in एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय, रामगढ़ के सूचना पट पर उपलब्ध है।
18. आवेदन की प्रक्रिया :-
 - I. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/04/2026 अपराह्न 05:00 बजे तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - II. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट/ कुरियर से निम्न पते पर भेजा जा सकता है – जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, रामगढ़ समाहरणालय बी ब्लॉक, रामगढ़, झारखण्ड।

ह0/-
उप विकास आयुक्त,
रामगढ़।

- ज्ञापांक 138...../जि0बा0सं0ई0, रामगढ़, दिनांक 13/04/2026
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि विज्ञापन को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन नियम/शर्त सहित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.ramgarh.nic.in में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- निदेशक-सह-सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।


उप विकास आयुक्त,
रामगढ़।

आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,
रामगढ़।

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
आवेदक का नाम (अंग्रेजी में).....
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि (अंको में).....
जन्म तिथि (शब्दों में).....
5. लिंग (पुरुष/महिला).....
6. स्थायी पता
7. पत्राचार का पता
8. मोबाईल नं० ई-मेल
9. कोटि (अ०ज०/अ०ज०जा०/अ०पि०व०/आ०क०व०/सामान्य)
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?
11. विवाहित /अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता
12. शारीरिक रूप से दिव्यांग (प्रमाण पत्र सहित)
13. शैक्षणिक योग्यता :

स्वअभिप्रेमाणित
फोटो

परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरणी :.....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें):-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		कार्यानुभव की कुल अवधि	कार्यानुभव का क्षेत्र
		कब से	कब तक		

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर।